

समाहरणालय, चतरा ।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक- 1314/रा0

दिनांक- 09/10/2020

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
चतरा ।

सेवा में,

उपमहाप्रबंधक,
संचरण अंचल,
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड,
हजारीबाग ।

विषय:- चतरा जिलान्तर्गत हंटरगंज अंचल के ग्राम बोड़ा में 132/33 KV ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण कार्य अंतर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक चतरा जिलान्तर्गत हंटरगंज अंचल के ग्राम बोड़ा में 132/33 KV ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण कार्य अंतर्गत निम्नांकित भूमि का क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है:-

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुन्दा	कुजरम	155	01	05	20.00	गैरमजरुआखास जंगल
कुल-						20.00	

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

09.10.2020
अपर समाहर्ता,
चतरा ।

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

सं० 1312

दिनांक 08.10.2020

प्रमाण-पत्र

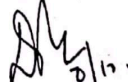
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0 राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/ कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों/ उद्यमों/ एजेन्सियों/ निगमों/ बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-कुन्दा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है:-

क्र०	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुन्दा	कुजरम	155	01	05	20.00	गैरमजरूआखास जंगल
कुल-						20.00	

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को हंटरगंज अंचल के ग्राम बोडा में 132/33 KV ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण कार्य अंतर्गत क्षतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।


उपायुक्त
चतरा।